प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक-31 मार्च, 2016

विषय- कारागार विभाग में ई-प्रिजन कार्ययोजना को क्रियान्वित किये जाने हेतु अग्रिम भुगतान स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-7285/शोध एवं प्र0सु0अनु0-5/ई-प्रिजन/16, दिनांक 10 मार्च, 2016 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-184/2015/1045/22-4-15-48(30)/14, दिनांक 14 सितम्ब्र, 2015 क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय कारागार विभाग में ई-प्रिजन योजना को क्रियान्वित किये जाने हेतु कुल स्वीकृत रू0 279.00 लाख में से रू0 2,13,05,759/-( रूपया दो करोड़ तेरह लाख पॉच हजार सात सौ उनसठ मात्र) की धनराशि नेशनल इनफारमेटिक सेण्टर सर्विसेज इंक ( निक्सी) नई दिल्ली को उपलब्ध कराने हेतु अग्रिम आहरण की स्वीकृति निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित विवरण/शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये में)

| क्र0 | मद सामग्री | संख्या | प्रति यूनिट दर | कुल लागत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | एचपी कम्प्यूटर डेस्कटाप( कोर-आई-3 आल इन वन) | 146 | 51,681 | 75,45,426 |
| 2 | एचपी कोर-आई-3 लैपटाप | 71 | 52,187 | 3705,277 |
| 3 | एचपी लेजर जेट-प्रो-1566 पी प्रिन्टर | 75 | 11,234 | 8,42,550 |
| 4 | यू0पी0एस0 700वीए( बैकप 01 घण्टा) | 146 | 15,373 | 22,44,458 |
| 5 | फिंगर प्रिन्ट स्कैनर (निटजेन, फ्रिन्गकी हैमेस्टर-डीएक्स) | 66 | 5,443 | 3,59,238 |
| 6 | आल इन वन लेजर प्रिन्टर (एचपी- प्रो-1-1136एमएफपी) | 66 | 19,465 | 12,84,690 |
| 7 | लॉजीटेक यूएसबी कैमरा( एचडी-1080पी) | 67 | 8,830 | 5,91,610 |
| 8 | मैनपावर डेटा मैनेजमेण्ट असिस्टेंट स्तर (9 महीने के लिए) | 35 | 13,754 | 43,32,510 |
| 9 | ट्रेनिंग/वर्कशाप आयोजन के लिए एनआईसी हेतु | - | 7 | 2,00,000 |
| 10 | ट्रेवलिंग/कन्टीजेंसी आयोजन के लिए एनआईसी हेतु | - | - | 2,00,000 |
| | | | योग- | 2,13,05,759 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) प्रश्नगत अग्रिम आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.83 तथा संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनांक 10.06.2011 में निहित शर्तों/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) समस्त सम्बन्धित वित्तीय नियमों, प्रक्रिया और इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का समायोजन दिनांक 31.03.2016 तक कर लिया जायेगा।

(4) उक्त धनराशि के आहरण में से यदि कोई हानि होती है, तो उसके लिए आहरण-वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

(5) उक्त कार्ययोजना हेतु क्रय किये जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता एवं दर सुनिश्चित करने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार का होगा।

(6) प्रशासकीय विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपकरणों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो एवं मूल्य प्रचलित बाजार दर से अधिक न हो।

2- यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग की अशासकीय संख्या-एफ0ए0-1-125/दस-2016, दिनांक 29 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या-38/2016/367(1)/22-4-16-तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) महाप्रबंधक, नेशनल इनफारमेटिक सेण्टर सर्विसेज इंक , हाल नं0-2 एण्ड छठवां तल एन0बी0सी0सी0 टावर, भीखा जी काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-66
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in